

विधान सभा - लारांकित

क्र.सं. क. 27503/2013

म.प्र. शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

[17/3/2021]  
पारिशिष्ट-1

क्रमांक / एफ-44-3/2014/20-2 आदेश

भोपाल, दिनांक 17/1/14

शैक्षणिक सत्र के दौरान शासकीय विद्यालयों में वैवाहिक अथवा अन्य समारोह आयोजित होने से विद्यालयों में शैक्षणिक एवं खेलकूद गतिविधियाँ सम्पादित होने में बाधा उत्पन्न होती है।

अतः राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया है कि शैक्षणिक सत्र के दौरान किन्हीं भी परिस्थितियों में शासकीय विद्यालयों के प्रांगण में वैवाहिक अथवा अन्य समारोहों के लिए आयोजन की अनुमति न दी जाए।

*(के०के०द्विवेदी)*  
उप सचिव

म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 17/1/14

पृ. क्र. / एफ-44-3/2014/20-2  
प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त संचालक, मानव अधिकार आयोग, भोपाल की ओर पत्र क.27503/माअआ/अनु/2519/जबलपुर/13 भोपाल दिनांक 29/11/13 के क्रम में सूचनार्थ।
2. सचिव, मान.मुख्यमंत्री सचिवालय म०प्र०शासन।
3. निज सहायक मान.मंत्री/राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा।
4. प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग म०प्र०शासन।
5. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
6. आयुक्त, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल।
8. कलेक्टर, समस्त जिले, म०प्र०।
9. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक (लोक शिक्षण) म०प्र०।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म०प्र०।
11. समस्त, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, म०प्र०।

*(के०के०द्विवेदी)*  
उपसचिव

म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग,

*(के०के०द्विवेदी)*  
अनुभाग अधिकारी  
मध्यप्रदेश शासन,  
स्कूल शिक्षा विभाग,  
(क०-३)